नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - सिसवा

विकासखंड - चौथम

जनपद - खगड़िया

राज्य - बिहार

सम्पादन

डॉ० रूचि बडोला
डॉ० एस० ए० हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

एकता शर्मा, मुकेश देवराड़ी, कल्पना चंदेल, शिवानी सोलंकी, प्रिया प्रजापति एवं गंगा प्रहरी

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

शताक्षि शर्मा

फोटो क्रेडिट

एन०एम०सी०जी टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून - 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या - 0135 2640114- 15, 2646100
फैक्स नं० - 0135-2640117
ई -मेल - ruchi@wii.gov.in

वर्ष - **2023**

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम पंचायत	सरसावा
विकासखंड	चौथम
जनपद	खगड़िया
राज्य	बिहार
कुल बजट	23,20,000
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2023

विषय - वस्तु

परिचय

सहमति पत्र

भाग - **1** प्रस्तावना 01

भाग - **2** ग्राम पंचायत का विवरण 03

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण 03

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक 03

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया 03

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण 03

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय 04

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति 04

2.7 कृषि एवं पशुपालन 04

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण 04

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति 04

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण 05

2.11 समुदाय की कोसी नदी पर निर्भरता 05

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी 05

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण 06

भाग - **3** कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) 07

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक 07

भाग - **4** समस्या विश्लेषण 09

4.1 समस्या विश्लेषण 09

भाग - **5** नियोजन का उद्देश्य 11

भाग - **6** प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन 13

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 13

6.2 समुदाय आधारित संस्थानों का सुदृढ़ीकरण 13

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 14

विषय - वस्तु

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ	14
6.6 जैव विविधता संबंधी गतिविधियाँ	15
6.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ	15
6.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ	15
6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	16
भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	18
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	19
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	20
7.5 विवाद का निपटारा	20
7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव	20
7.7 सफलता के सूचक	21
अनुलग्नक	22
1 समझौता ज्ञापन	22
2 सामाजिक मानचित्र	23
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	24
फोटो गैलरी	25

Sarsawa
Image © 2023 Airbus

मानचित्र

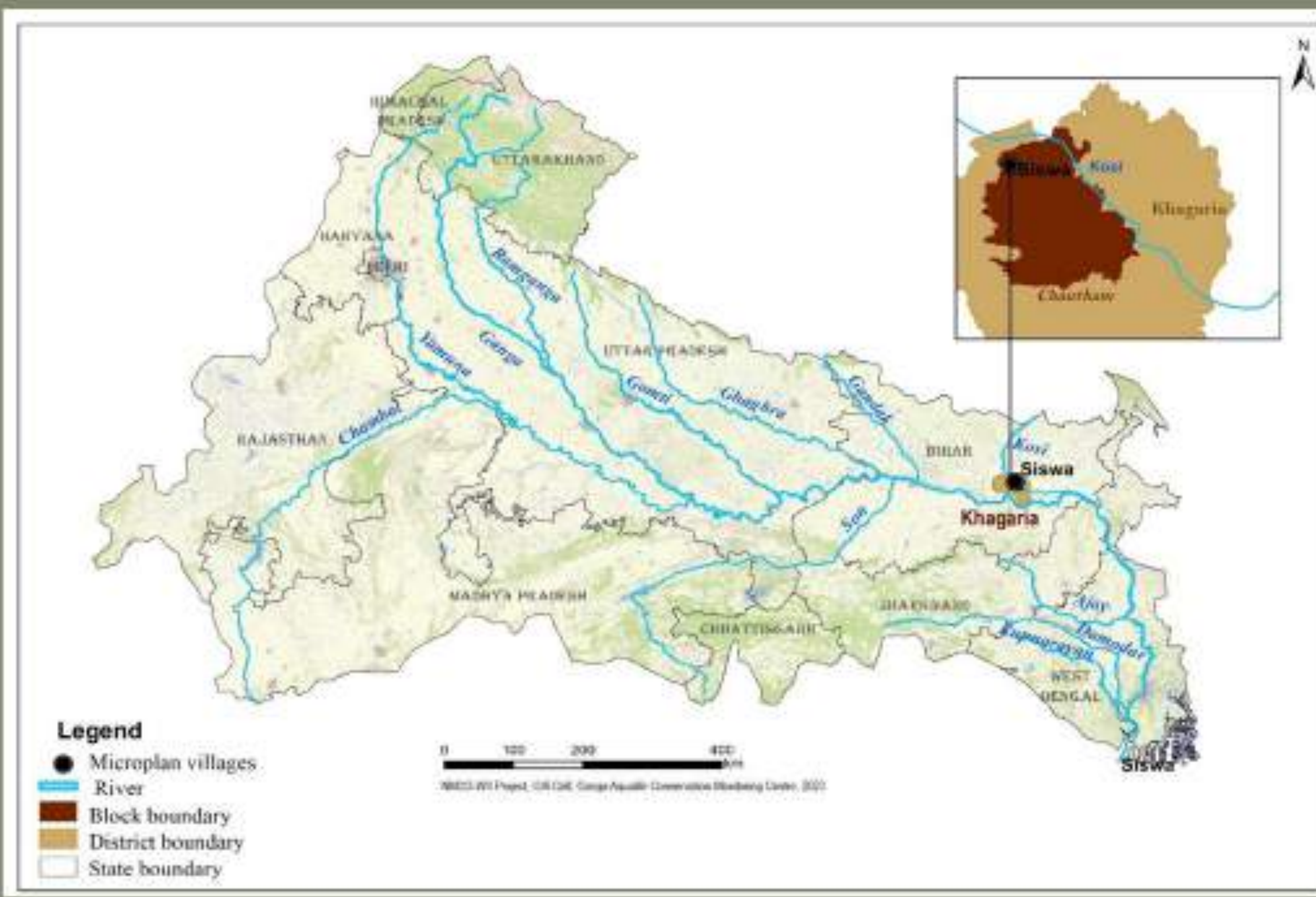
N
Khagaria
Chauthan
UTTARAKHAND
HARYANA
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
BIHAR
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
WEST BENGAL
Ramganga
Ganga
Yamuna
Gomti
Ghaghra
Gandak
Chambal
Kosi
Son
Ajay
Damodar
Rupnarayan
Siswa
Khagaria
Siswa
Legend
Microplan villages
River
Block boundary
District boundary
State boundary
0
100
200
400
Km

सिसवा

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का दूषित जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शव-दाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की जैवविविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु **6** घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा और इसकी सहायक नदियों में किया जा रहा है। साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों का सूक्ष्म नियोजन भी तैयार की जा रही है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित **(Decentralised),** सतत **(Sustainable)** एवं सहभागी **(Participatory)** बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे **(Top to bottom)** न होकर नीचे से ऊपर **(Bottom to top)** की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

मो. मोजाहिद प्रांक - 05 ग्राम पंचायत राज-सरसावा

मुखिया प्रखण्ड-चौथम

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरसावा पंचायत जिला खगड़िया में विभिन्न बैठकें, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गयी हैं। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैवविविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है। इस योजना पर सामुदायिक बैठकों में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गयी है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

मुखिया हस्ताक्षर- [illegible]

दिनांक-13-01-2023

मुखिया

ग्राम पंचायत राज सरसावा

प्रखंड-चौथम (खगड़िया)

सिसवा

भाग – 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	सरसावा
ग्राम	सिसवा
अवस्थिति	अक्षांश **25’35’52.93”** एवं देशान्तर **86’37’30.01”**
विकासखंड	चौथम
जिला	खगड़िया
राज्य	बिहार
जिला मुख्यालय खगड़िया से दूरी	**22** कि०मी०
ब्लॉक कार्यालय चौथम से दूरी	**8** कि०मी०
कोसी नदी से दूरी	**1** किमी०
कुल जनसंख्या	**15,000**
कुल परिवार	**1500**
मुख्य जातियां	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, मल्लाह
मुख्य समस्याएं	• जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • नदी तट पर कृषि • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना, • शौचालयों की कम संख्या • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना

प्रस्तावित गतिविधियाँ	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ • मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियां

भाग –2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम सिसवा ग्राम पंचायत सरसावा का भाग है जो कोसी नदी से **1** किमी० दूर और बागमती नदी से **3** किमी० की दूरी पर बसा है। यह बिहार राज्य के खगड़िया जिले के चौथम विकासखंड में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी **22** कि०मी० एवं राज्य की राजधानी पटना से **176** कि०मी० है। सरसावा का पिनकोड **851201** है और प्रधान डाकघर चौथम में ही स्थित है। **2011** की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत सरसावा का जनगणना कोड **238745** है। पंचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग **490** हैक्टेयर है। ग्राम सिसवा की कुल जनसंख्या **1700** है। यहाँ पर लगभग **390** परिवार निवास करते हैं।

2.2 ग्राम चयन के मानक -

ग्राम सिसवा कोसी नदी के किनारे नदी के सबसे नजदीक बसी आबादी है। यह दो तरफ से नदियों (कोसी एवं बागमती) से घिरा है। आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर होने के कारण समुदाय की नदी जल पर निर्भरता है। नदी में जैवविविधता की उपस्थिति तथा उसके विषय में समुदाय में जागरूकता का न होना भी चयन का आधार बना। गाँव में कूड़ा निस्तारण की कोई भी व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा, घर के आसपास ही जला दिया जाता है, या फिर गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया जाता है। कुछ परिवारों की कोसी नदी पर निर्भरता आस्था के साथ-साथ आजीविका के लिये भी है। कोसी नदी से सबसे समीप स्थित होने व यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम चयन की प्रक्रिया -

कोसी नदी के किनारे स्थित गाँवों का सामान्य पर्यवेक्षण, स्थानीय समुदायों से चर्चा, गोष्ठी, भौतिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त नदी के किनारे सबसे नजदीकी बसी सरसावा ग्राम पंचायत में स्थित सिसवा गाँव का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। नदी में डॉल्फिन, कछुये, घड़ियाल व मछलियां पाई जाती हैं। कछुये का प्रजनन क्षेत्र (Nesting site) भी देखा गया है। ग्रामीण लोगों को वहाँ पायी जाने वाली जलीय जीवों की प्रजाति के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इस स्थान पर इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया। सबकी सहमति के बाद ग्राम पंचायत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण -

ग्राम सिसवा बिहार राज्य की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिन्दी, मैथिली, उर्दू भाषा बोली जाती है। गाँव में रहने वाले कुल **390** परिवारों में से सामान्य जाति के **110** परिवार, **107** अनुसूचित जाति के परिवार, अन्य पिछड़े वर्ग के **143** तथा मल्लाह परिवारों की संख्या **30** है। गांव की कुल जनसंख्या **1700** है जिसमें से शिक्षित पुरूषों की संख्या **748** तथा शिक्षित स्त्रियों की संख्या **460** है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय -

ग्राम सिसवा में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न एवं मध्यवर्गीय है। लगभग **280** परिवार पशुपालन एवं कृषि पर आश्रित हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा व्यक्तियों की संख्या **40** है, **15** परिवार स्वरोजगार पर आश्रित हैं, **30** परिवार मछ्ली का शिकार, तथा कुछ परिवार मजदूरी, धार्मिक कार्य, नौकायान आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं।

2.6 ग्राम में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति –

ग्राम सिसवा में स्वच्छ पेयजल हेतु **10** ट्यूबवैल, **90** निजी हैंडपम्प तथा **1** कुआँ है। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनका प्रयोग सिंचाई के लिये जल प्राप्त करने के लिये किया जाता है। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की उपलब्धता है। गाँव में कुल शौचालयों की संख्या **80** है, केवल **25** प्रतिशत परिवारों के द्वारा ही शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शौचालय विहीन परिवारों की संख्या **310** है, गाँव में व्यक्तिगत शौचालय न होने के कारण तीन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जिसमें से दो शौचालय क्रियाशील तथा एक अभी निर्माणाधीन है। केवल **20** से **30** परिवारों द्वारा ही सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग किया जाता है। ठोस कूड़ा **(Solid waste)** एकत्रीकरण हेतु गाँव में कूड़ादान नहीं है। समुदाय द्वारा घर के पीछे, खुले स्थान पर या जलाकर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन -

ग्राम में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ पर कुल **270** हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूँ, धान, सरसों, दलहन एवं मक्का आदि फसलें हैं। यहाँ पर कुल **280** परिवार कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं, जिनके पास औसत कृषि भूमि **8** से **10** बीघा है। पूरी कृषि भूमि पर रासायनिक खेती होती है। फसल अच्छी हो इसके लिए रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते हैं जिनमें मुख्य रूप से **यूरिया, पोटास, कैल्सियम, जिंक** आदि का प्रयोग किया जाता है। फसलों का कीटों से बचाव करने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर **100** परिवार द्वितीयक व्यवसाय के रूप में पशुपालन करते हैं कुल पशुओं की संख्या लगभग **400** है जिसमें मुख्य रूप से गाय, भैंस और बकरियां हैं। गाय व भैंस की मुख्य प्रजातियां जर्सी, फ्रीजयन, सहवाल और मुर्रा हैं ।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण –

ग्राम पंचायत सरसावा में मौसम ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्म और शीतकाल में अत्यधिक ठंडा रहता है। वर्षा ऋतु के समय भारी वर्षा के कारण नदियाँ उफान पर हो जाती हैं और अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु बोरिंग, कोसी नदी का पानी, व पंप उपलब्ध है। ग्राम पंचायत में **10** ट्यूबवेल व कोसी नदी से निकली नहरें गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। जिनके द्वारा गाँव में पानी पहुँच पाता है। नदी किनारे धान की खेती के लिए कुछ गाँव के लोग पंप का भी प्रयोग करते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग भी सिंचाई के लिये किया जाता है।

2.9 ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधायें तथा पहुँच व संचार के साधनों की उपलब्धता -

सरसावा ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग द्वारा यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ तक पहुंचने के साधन ऑटो, बाईक, स्कूटर आदि हैं बस स्टेशन 7 कि०मी० तथा रेलवे स्टेशन गांव से 20 किमी० दूर धमारा में स्थित है। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में ग्राम में निजी फोन, टेलीफोन, तथा पोस्ट ऑफिस है। ग्राम पंचायत में चार प्राथमिक विद्यालय हैं तथा एक माध्यमिक विद्यालय है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण -

गाँव के आस पास नदी की जैवविवधिता बहुत समृद्ध है जिनमें डॉल्फिन, कछुये, घड़ियाल और मछलियां आदि जलीय जीव पाये जाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी जैसे लेसर एडजुटेंट, ब्लैक काइट, इंडियन रोलर, ब्लैक मैना, ब्लैक विंग्ड काइट, रेड नेप्ड आइबिस आदि पाये जाते हैं। वनस्पति में मुख्य रूप से बबूल, बांस, पीपल, शीशम, बरगद और महोगनी वृक्षों की प्रमुख जैवविविधता है। गांव में वन क्षेत्र नहीं है।

2.11 समुदाय की नदी पर निर्भरता -

सिसवा गाँव धार्मिक व आर्थिक रूप से कोसी व बागमती नदी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि एवं पशुओं के लिये जल हेतु समुदाय की नदी पर निर्भरता है। 65 परिवार कोसी नदी के तट पर कृषि (पालिज) करते हैं, इस पालिज में मुख्य रूप से परवल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इत्यादि की खेती की जाती है। इन फसलों की सिंचाई के लिए नदी से ही पानी लिया जाता है। साथ ही 30 परिवारों की आजीविका मछली के शिकार पर निर्भर है। जिसके लिए मच्छरदानी जाल का उपयोग भी किया जाता हैं। जिसमें छोटी मछलियाँ भी जाल में फंस जाती हैं, जिसके लिए मछुवारों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अंतिम यात्रा के समय दाह संस्कार कार्यक्रम के बाद कोसी नदी में स्नान के लिए जाना आवश्यक माना जाता है।

2.12 ग्राम में चल रहे / पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी -

यहाँ पर जैवविविधता संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भी योजना/कार्यक्रम नहीं चल रहा है। पंचायत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में महोगनी के वृक्षों का रोपण किया गया है।

2.13 ग्राम में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं जो संस्थायें गठित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	सक्रिय	1248	इसका उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तथा विकास की मुख्य धारा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	15 कार्यकर्ता	ग्रामीण समुदायों को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रम से जोड़ना है।
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	12 आंगनबाड़ी केन्द्र	360 बच्चे (प्रत्येक आंगनबाड़ी में 30 बच्चे)	0 से 5 वर्ष तक की आयु वाले शिशुओं को प्रारम्भिक ज्ञान व पोषण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है।
4	कृषि विज्ञान केंद्र	जैविक खेती समुदाय	1	50 प्रतिभागी	इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण कृषकों को जैविक खेती का प्रशिक्षण एवं फसल उत्पादन में सहयोग करना हैं।
5	उज्जवला योजना			240 परिवार	ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर महिलाओं को ईंधन उपलब्ध कराना है।

भाग -3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व कोसी नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया-

- धार्मिक समूह
- कृषक समुदाय
- मछुआरा समुदाय
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- कृषि विज्ञान केन्द्र
- महिलायें एवं किशोरियां
- गंगा प्रहरी
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण- स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, उद्यान विभाग।
- केन्द्रीय मंत्रालय - जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

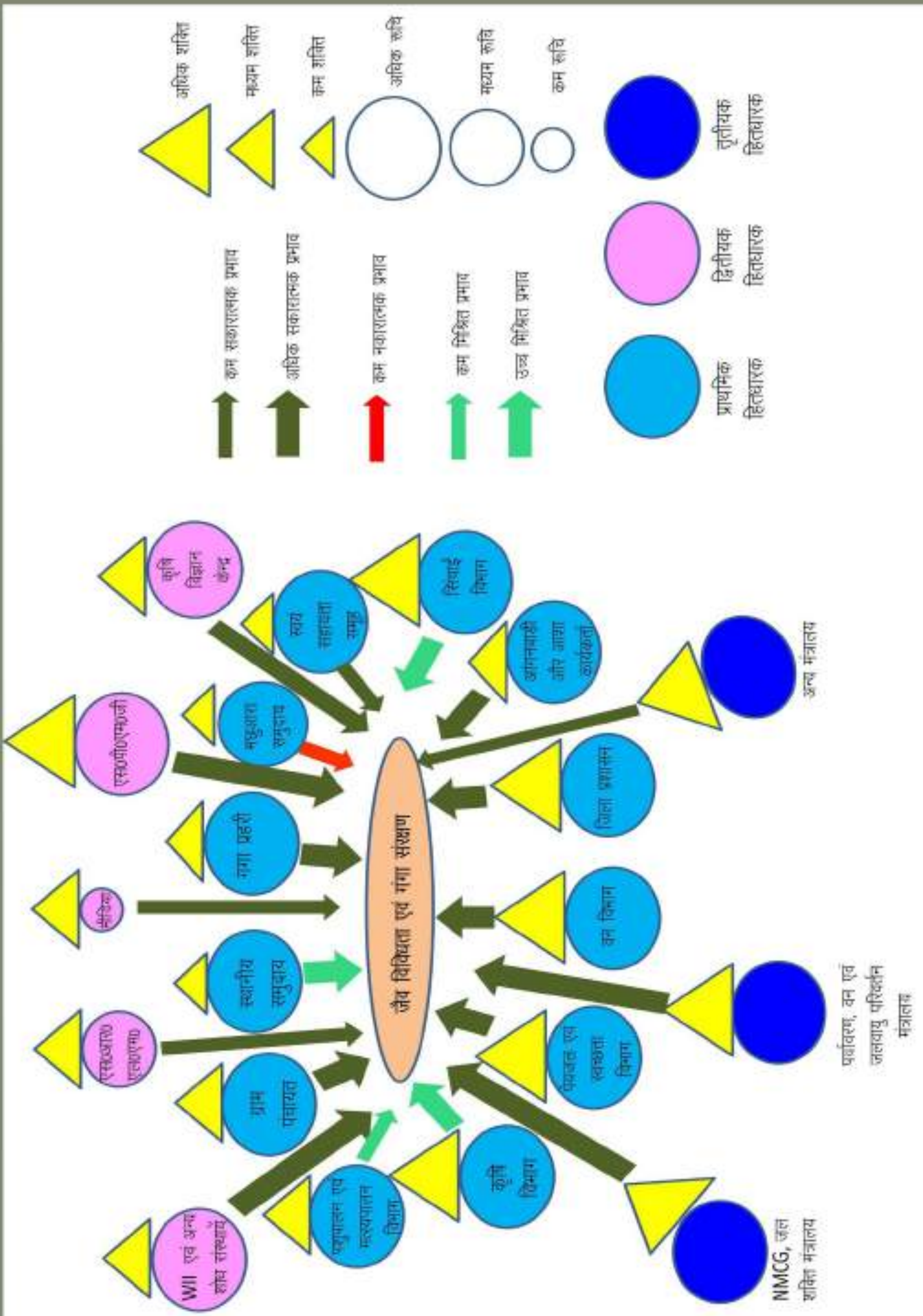

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग -4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण-

ग्राम सिसवा के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि व पशुपालन कार्यों पर है। यहाँ पर **270** हेक्टेयर कृषि भूमि पर कृषि की जाती है। जिसके लिये अत्यधिक जल का दोहन किया जाता है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। जो पानी में बहकर नदी जल को प्रदूषित करते हैं।

65 परिवार कोसी नदी के तट पर कृषि (पालिज) करते हैं, इस पालिज में मुख्य रूप से परवल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इत्यादि की खेती की जाती है। इन फसलों की सिंचाई के लिए नदी से ही पानी लिया जाता है।साथ ही इनमें रासायनिक व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण ग्राम पंचायत के लोग सड़क के किनारे या खेतों में गड्ढा करके कूड़े का निस्तारण करते हैं। खुले में निस्तारित कूड़ा हवा व वर्षा के साथ नदी के पानी में मिल जाता है। गांव में कच्ची खुली नालियां हैं जिनका पानी सीधे खेतों में जाता है जो बाद में बहकर नदी में चला जाता है।

ग्राम में व्यक्तिगत शौचालयों की संख्या कम होने के कारण सामुदायिक शौचालयों में का निर्माण किया जा रहा है परंतु कुल शौचालय विहीन परिवारों की संख्या के हिसाब से इनकी संख्या बहुत कम है। लोग खुले में शौच हेतु खेतों में या नदी किनारे जाते हैं।

सभी परिवारों द्वारा ईंधन हेतु एल०पी०जी के साथ ही लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वन संसाधनों व वानस्पतिक जैवविविधता का ह्रास हो रहा है।

समस्या वृक्ष

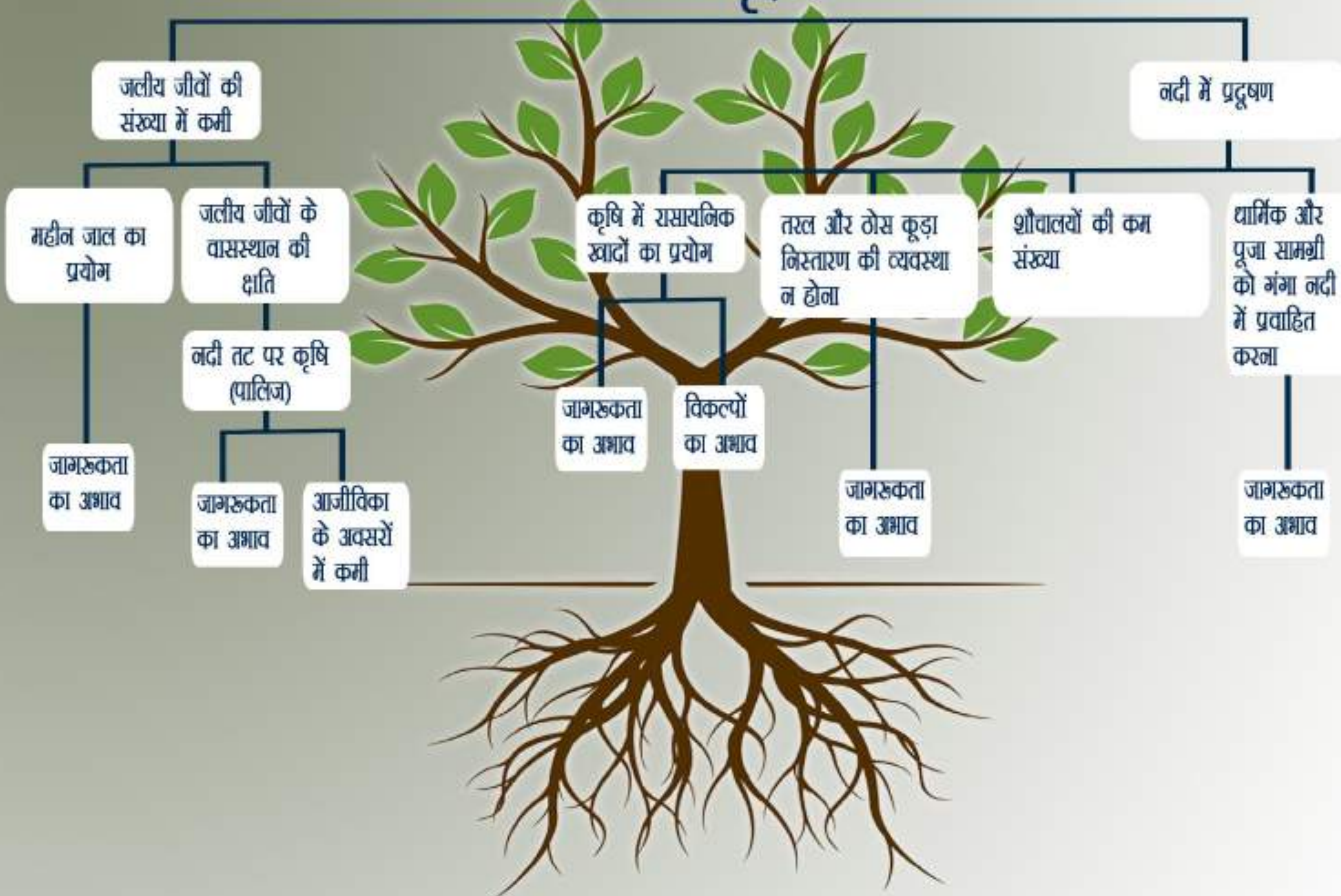

जलीय जीवों की संख्या में कमी
महीन जाल का प्रयोग
जागरूकता का अभाव
जलीय जीवों के वासस्थान की क्षति
नदी तट पर कृषि (पालिज)
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी
नदी में प्रदूषण
कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग
जागरूकता का अभाव
विकल्पों का अभाव
तरल और ठोस कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना
जागरूकता का अभाव
शौचालयों की कम संख्या
धार्मिक और पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करना
जागरूकता का अभाव

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उद्देश्य नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं नदी की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे ।

दीर्घकालीन उद्देश्य -

नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य -

- जैव विविधता संरक्षण हेतु कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना।
- शौचालयों के उपयोग के प्रति जागरूकता पैदा कर लोगों को शौचालय के निर्माण के लिये प्रेरित करना।

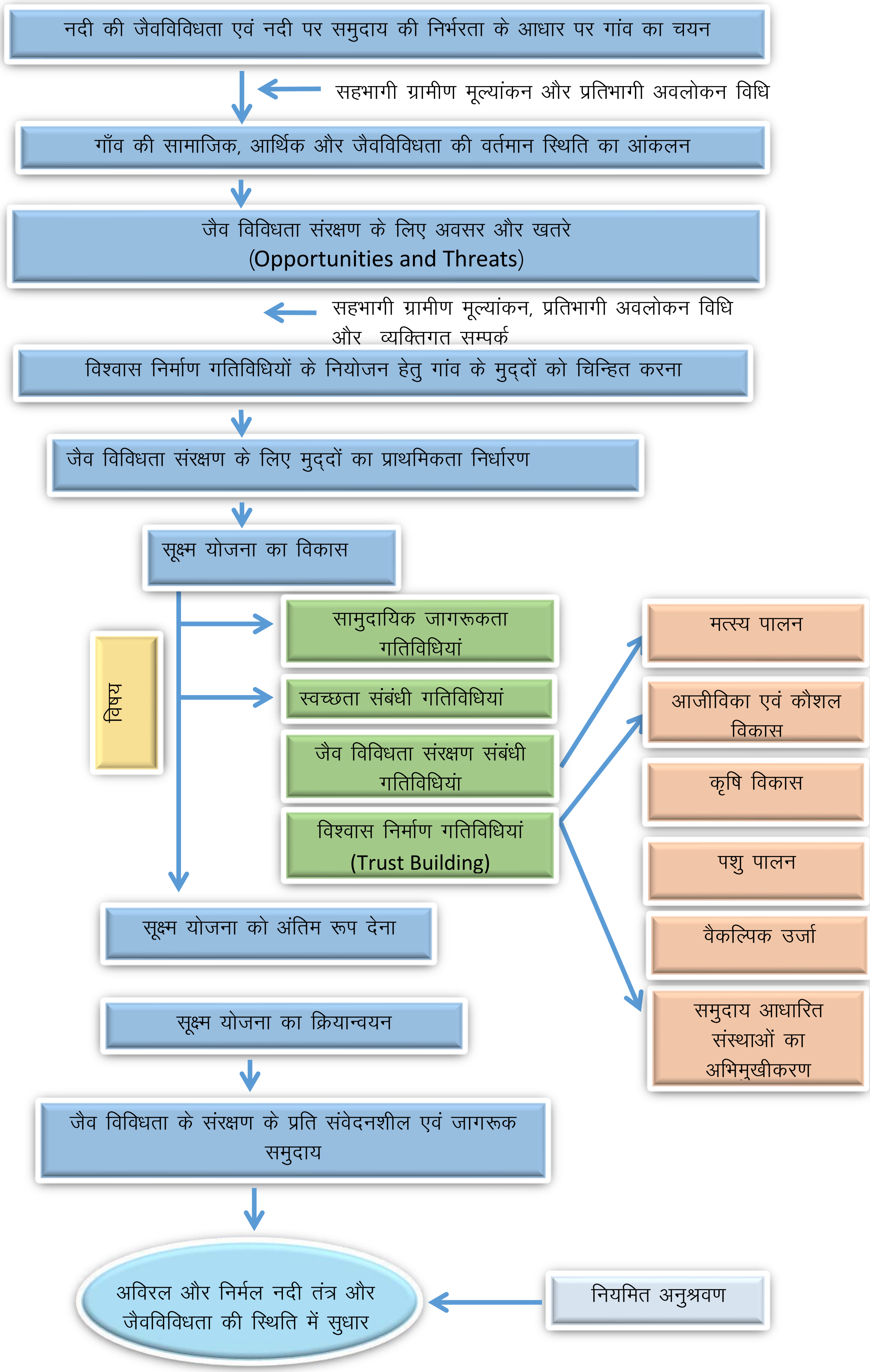

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम सिसवा दो ओर से कोसी और बागमती नदी से घिरा है। यहाँ पर जलीय जैवविविधता काफी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर कछुओं का प्रजनन स्थल है। और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाये जाते हैं। जिसके संरक्षण के लिये समुदाय को जागरूक और उत्तरदायी बनाया जाना है।

इसके लिये निम्न जागरूकता गतिविधियां की जानी हैं -

1. डॉल्फिन, कछुओं और पक्षियों के संरक्षण के प्रति समुदाय को जागरूक किया जायेगा।
2. कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि पर जागरूकता।
3. जैविक और अजैविक कूड़े के निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
4. खुले में शौच के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन |
5. रासायनिक खादों, कीटनाशकों के जलीय जैवविविधता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
6. छात्र छात्राओं के साथ जैवविविधता कछुओं और पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र में डॉल्फिन कछुओं और अन्य जलीय जीवों महत्व पर चर्चा करते हुये उनके लियेजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
7. मछली के शिकार के लिये सही जाल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये मछुआरों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें-

ग्राम सिसवा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहार जीविका) के अंतर्गत स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी समुदाय के मध्य कार्यरत हैं। कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिये आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जायेगा।

- आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं तथा ग्राम में गठित स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें।
- स्वंय सहायता समूहों को संगठनात्मक एवं व्यासायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित और प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ -

सिसवा में समुदाय की आजीविका हेतु कोसी नदी पर कृषि के अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्भरता कम है परंतु जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को खासकर महिलाओं को जोड़ने हेतु उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है।

बैठकों कार्यशालाओं के दौरान ग्राम समुदाय द्वारा जैविक कृषि, कम्पोस्टिंग और डेरी उत्पादों को बनाने के साथ ही धान सह मत्स्य पालन (Paddy fish farming) की मांग की गई है। जिन परिवारों के पास भूमि है उन्हें आजीविका संवर्धन के लिये मत्स्य विभाग से संपर्क कर कच्चे तालाबों में मत्स्य पालन के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

समुदाय को वैकल्पिक आजीविका को अपनाने के लिये तैयार करने हेतु विभिन्न कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोलन किया जायेगा।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ -

सिसवा में **5** कच्चे घाट हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ग्राम में केवल **80** परिवारों के पास शौचालय है एवं बहुसंख्य परिवारों के पास अभी भी शौचालय नहीं हैं इनमें से केवल कुछ ही परिवार सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। गांव में कच्ची खुली नालियां हैं जिनका पानी सीधे खेतों में जाता है जो बाद में बहकर नदी में चला जाता है। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतू कोई व्यवस्था नहीं है।

- पंचायत के माध्यम से विकासखंड और जिला स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण हेतू राशि प्रदान करने और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव भेजा जायेगा।
- समुदाय को जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिये गतिविधियां की जायेंगी। जैविक कूड़े के निपटान के लिये कम्पोस्टिंग की जा सकती है।
- नालियों के गदें पानी को नदी में जाने से रोकने के लिये मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक सोख्ता गड्ढा बनाया जा सकता है।

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियां -

ग्राम सिसवा में **200** परिवारों के पास खाना पकाने के लिये एल०पी०जी है। साथ ही पशुधन की प्रचुरता के कारण सभी परिवार खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों के लिये गोबर के उपलों का प्रयोग करते हैं। समुदाय में कई परिवारों के द्वारा बायोगैस के निर्माण की मांग की गई है जिसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर इन परिवारों को एल०पी०जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु जोड़ा जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां -

ग्राम की लगभग **70** प्रतिशत से अधिक परिवार प्रत्यक्ष रूप से कृषि और पशुपालन निर्भर है।

- नदी तट पर कृषि के दौरान जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जायेगा।
- कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ मिलकर चयनित कृषकों को कृषि बागवानी के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।
- रासायनिक खादों से जैवविविधता को होने वाली हानि को रोकने और जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के लाभ पर जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण आयोजित कर समुदाय को जैविक खाद बनाने के तरीकों की जानकारी दी जायेगी।

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां -

सिसवा में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग **100** परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों से चारे की व्यवस्था की जाती है।

- द्वितीयक व्यवसाय होने के कारण पशुधन समुदाय का एक महत्वपूर्ण संपति है जिसके संरक्षण व संवर्धन के लिये समुदाय में पशुओं के टीकाकरण, व पशु रोगों की जानकारी व बचाव के बारे में प्रशिक्षण की मांग समुदाय द्वारा की गई है। जिसके लिये विभाग के सहयोग से गांव में प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।
- दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही खेतों और मेड़ों पर चाराघास और चारा पत्ती वाले पेड़ों का रोपण इच्छुक व चयनित किसानों के लिये किया जायेगा।
- सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।
- कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण को बढ़ावा दिया जायेगा।

6.8 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां-

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं।

- इस गांव में नदी तट पर कछुओं के प्रजनन क्षेत्र का पता चला है। इसके संरक्षण के लिये वन विभाग के साथ मिलकर जागरूकता तथा संरक्षण कार्य किया जायेगा।
- मंदार नेचर क्लब और वन विभाग के साथ मिलकर पक्षियों के संरक्षण से संबंधित जागरूकता एवं संरक्षण कार्य किये जायेगें।
- गंगा प्रहरियों के एक प्रशिक्षित समूह को तैयार किया जायेगा।
- गंगा प्रहरी जलीय जीवों के महत्व और संरक्षण के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करेंगे साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगे जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके।

- वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक तंत्र तैयार किया जायेगा।
- गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
- नदी जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल की कमी को रोकने के लिये नदी किनारे और सार्वजनिक स्थान पर वृक्षारोपण करने पर सहमति बनी है।

6.9 मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियां -

ग्राम में **30** परिवारों की आजीविका मछली पकड़ने से जुड़ी है उनके द्वारा वर्तमान में मछलियों की संख्या कम होने की जानकारी दी गई है। इन परिवारों को वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा जायेगा।

- आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों में मछुआरा परिवार के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही इन्हें कच्चे तालाब निर्माण योजना से जोड़ा जाएगा।
- जिन मछुआरों के पास कृषि भूमि है उन्हें धान की खेती के साथ मत्स्य पालन की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- वन विभाग के साथ समनवय स्थापित कर मछली के शिकार के लिये सही जाल के उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन-

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, **WISE,HESCO** आदि
3.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
4.	वैकल्पिक ऊर्जा	उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि
5.	उन्नत एवं जैविक कृषि	कृषि विकास केन्द्र
6	प्राकृतिक कृषि	बिहार कृषि विश्वविद्यालय

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1-	कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	जैविक और अजैविक कूड़े के निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	खुले में शौच के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
4	रासायनिक खादों, कीटनाशकों के जलीय जैवविविधता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	छात्र छात्राओं के साथ जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	मछली के शिकार के लिये सही जाल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये मछुआरों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	स्वंय सहायता समूहों को संगठनात्मक एवं व्यासायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित और प्रशिक्षित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	जैविक कृषि, कम्पोस्टिंग और डेरी उत्पादों को बनाने के साथ ही धान सह मत्स्य पालन (Paddy fish farming) संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	पंचायत के माध्यम से विकासखंड और जिला स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण हेतु राशि प्रदान करने और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव भेजा जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
10	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिये गतिविधियां की जायेंगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
11	नालियों के गदें पानी को नदी में जाने से रोकने के लिये मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक सोख्ता गड्ढा बनाया जा सकता है।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। ।परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
12	नदी तट पर कृषि के दौरान जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ मिलकर चयनित कृषकों को कृषि बागवानी के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	रासायनिक खादों से जैवविविधता को होने वाली हानि को रोकने और जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण आयोजित कर समुदाय को जैविक खाद बनाने के तरीकों की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	समुदाय में पशुओं के टीकाकरण, व पशु रोगों की जानकारी व बचाव के बारे में प्रशिक्षण की मांग समुदाय द्वारा की गई है। जिसके लिये विभाग के सहयोग से गांव में प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

16	दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही खेतों और मेड़ों पर चाराघास और चारा पत्ती वाले पेड़ों का रोपण इच्छुक व चयनित किसानों के लिये किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	समुदाय में पशुओं के टीकाकरण, व पशु रोगों की जानकारी व बचाव के बारे में प्रशिक्षण की मांग समुदाय द्वारा की गई है। जिसके लिये विभाग के सहयोग से गांव में प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
19	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	कछुओं के प्रजनन क्षेत्र के संरक्षण के लिये वन विभाग के साथ मिलकर जागरूकता तथा संरक्षण कार्य किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21	गंगा प्रहरियों के एक प्रशिक्षित समूह को तैयार किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
23	नदी जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल की कमी को रोकने के लिये नदी किनारे और सार्वजनिक स्थान पर वृक्षारोपण करने पर सहमति बनी है।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों में मछुआरा परिवार के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही इन्हें कच्चे तालाब निर्माण योजना से जोड़ा जाएगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
25	जिन मछुआरों के पास कृषि भूमि है उन्हें धान की खेती के साथ मत्स्य पालन की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
25	वन विभाग के साथ समनवय स्थापित कर मछली के शिकार के लिये सही जाल के उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट-

ग्राम सिसवा में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट सिसवा				
क्रम सं०	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	20	10000	200000
ii	कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि पर जागरूकता के लिये बैठकों, कार्यशालाओं आयोजन	10	10000	100000
iii	जैविक और अजैविक कूड़े के निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	5	10000	50000
iv	खुले में शौच के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	5	15000	75000
v	रासायनिक खादों, कीटनाशकों के जलीय जैवविविधता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन	50	500	25000
vi	छात्र छात्राओं के साथ जैवविविधता संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	4	10000	40000
	दीवार लेखन	50	500	25000
				515000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के लाभ पर जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण	5	50000	250000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	विभिन्न कौशल विकास योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	1	25000	25000
iv	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
v	पक्षियों के संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन	1	50000	50000
				755000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	जैविक खाद निर्माण (Demonstration)	2	50000	100000
ii	कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	1	50000	50000
iii	आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
iv	स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	5000	50000

v	वृक्षारोपण			**50000**
				300000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (**5** वर्ष)	**1**	**10000**	**600000**
ii	यात्रा व्यय			**150000**
				750000
			कुल	**23,20,000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

उपरोक्त कार्ययोजना का समय-समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व-

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें -

एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।

- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा-

गाँव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव-

रिकार्ड्स के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- नदी की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक-

1. नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग **(cadre)** तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. स्थानीय लोगों द्वारा स्वंय जलीय जीवों और पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है।
3. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और नदी के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
4. नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
7. आजीविका अवसरों में वृद्धि।
8. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

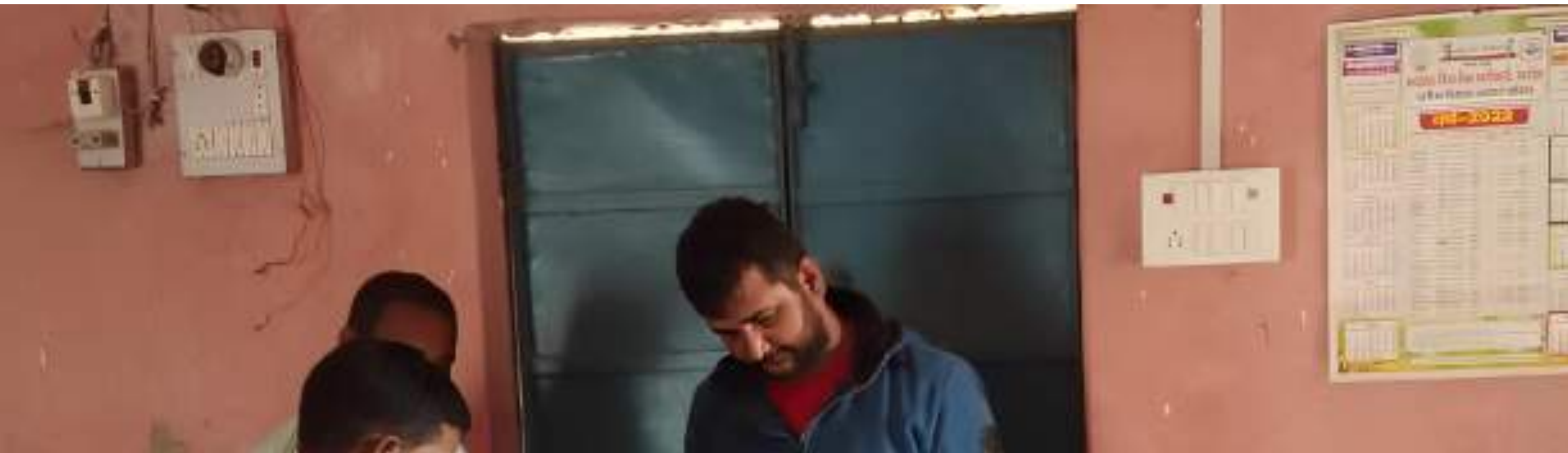

अनुलग्नक - 1
समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ...राज सरसावा... ग्राम पंचायत, जिला खगड़िया राज्य बिहार और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 28 / 08 / 2022 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जन्तुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विशेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: Dr. Ruchi Badola
Nodal Officer
Wildlife Institute of India
National Mission for Clean Ganga
Dehradun, Uttarakhand

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: मो॰ मोजाहिद

पद: मुखिया

दिनांक: 28/08/2022

मुखिया
ग्राम पंचायत राज सरस...
प्रखंड-चौथम (खगड़ि...

अनुलग्नक - 2
सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत सिसवा

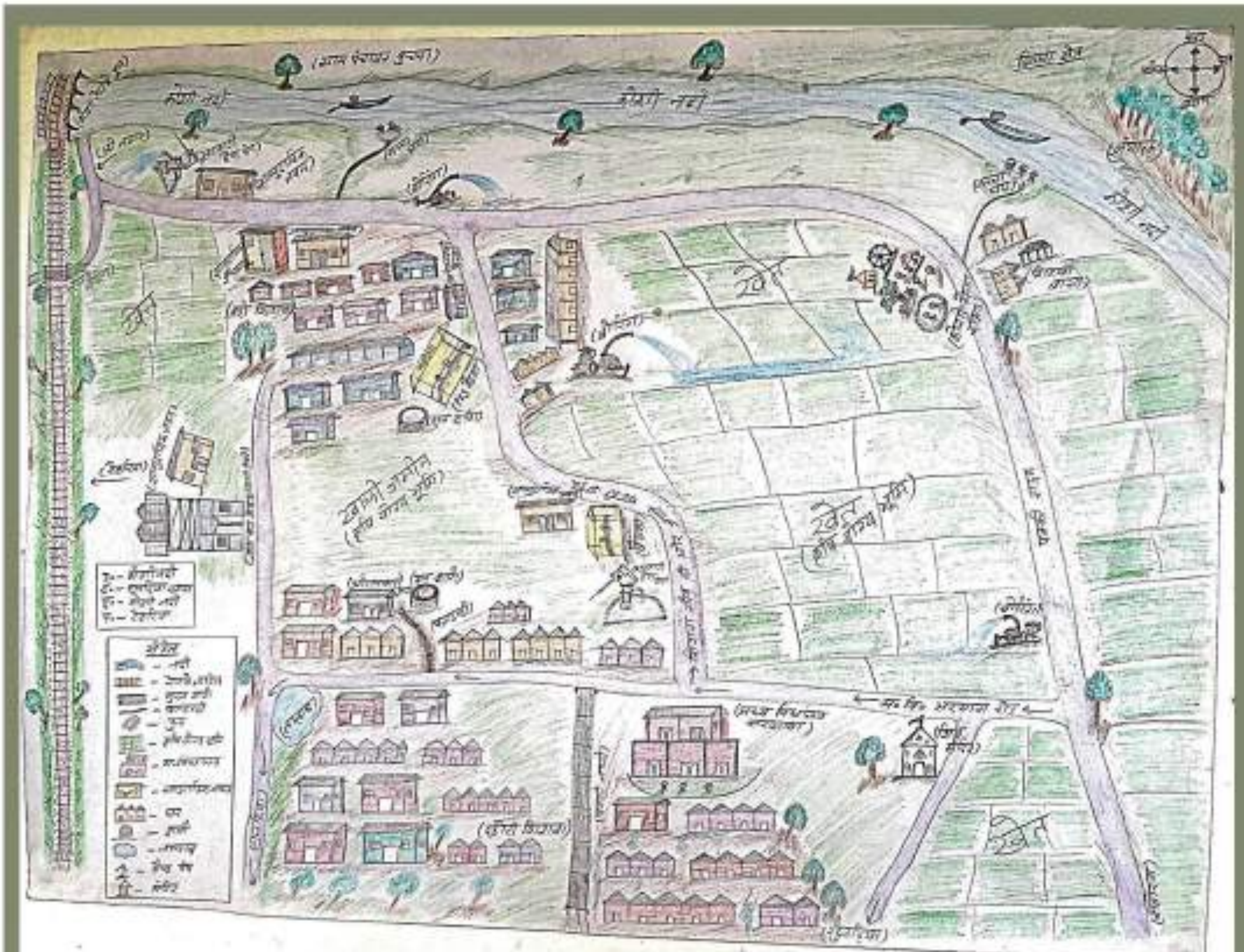

अनुलग्नक - 3
सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

01/02/23

25°36'1.26" N
86°37'55.12" E

Date ______
Page ______

→ Resource Map

	नाम	पता	मोबाईल नं०
1	दुरो देवी	गिरधा	7295070388
2	राधा देवी	"	7061965260
3	शामिल खातून	"	
4	मंजुला देवी	"	9608796031 / 6201580093
5	रेखन देवी	"	7217418703
6	पेलमादसी देवी	"	9508808028
7	मेहनाज खातून	"	
8	अनिता देवी	"	9162283487
9	पार्वती देवी (नीरू देवी)	"	9123641594
10	भूखा देवी	"	7764921043
12	सुलेखा देवी	"	9608778017
13	कोकिला देवी	"	
14	पना देवी	"	6206359213
15	बुल्ली देवी	"	8284759924
16	राजकुमारी देवी	"	9693382657
18	मंगली देवी	"	9318497247
18	Umesh Yadav (HM)	Teacher	
19	Anand Kumar	Teacher	8873957046
20	Gagan Yadav	Teacher	9473482945
21	Ramesh Kumar (WM)		9142355887
22	Randhir Kumar	Teacher	8405014991
23	Roshan Kumar		8901698925
24	Pintu Yadav		7061469526
25	Anil Kumar Shah (Teacher)		
26	Kundan Kumar		9340658163
27	Mukesh Kumar		
28	Shabdul		6206186433
29	Sajjan Thakur		8789901325
30	Budhan Mahadani		
31	सान्ति देवी		
32	सुलोचना देवी		
33	आंगनबाड़ी (सुनीता)		

फोटो गैलरी

NMCG

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Chandrabani Dehradun - 248001

Uttarakhand, India